

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1171/2014/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, मुख्यालय श्रीविजयनगर
वृत्त-सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स मल्होत्रा इंजिनियर्स एण्ड ट्रेडर्स,
ब्यावर, जिला अजमेर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी. के. पारीक
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 191/2012-13/वैट/ब्यावर में पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, मुख्यालय श्रीविजयनगर वृत्त-सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि रुपये 68,360/- को अपास्त किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा धारा 83 में उक्त अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.01.2013 को वधवा गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी के सूरतगढ़ स्थित गोदाम का निरीक्षण हुआ। वक्त निरीक्षण Exl India (A unit of Jaipur Golden Transport Co. (p) Ltd.) के Docket No. 2784525 Date 08.01.2013 द्वारा माल सिरेमिक टाइल बेंगलौर से सूरतगढ़ के लिए परिवहनित कराया जाना पाया गया। उक्त Docket के साथ संलग्न बिल में प्रेषक मै0 एडोर फोनटेक लि0 बेंगलौर के टैक्स इन्वॉयस नं0 303478 दिनांक 31.12.2012 में मै0 मल्होत्रा इंजिनियर्स ट्रेडर्स को डीलर तथा श्री सीमेंट लि0 गाँव उदयपुर सूरतगढ़ को प्रेषिति दर्शाया गया था। माल का प्रेषण सीधा बेंगलौर से सूरतगढ़ किया जाना पाये जाने के कारण करापवंचना के सन्देह पर उक्त माल को डिटेन किया।

दिनांक 21.01.2013 को मै0 मल्होत्रा इंजिनियर्स एण्ड ट्रेडर्स, ब्यावर के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि उक्त Docket No. 2784525 Date 08.01.2013 द्वारा प्रेषित माल ई-1 बिक्री के अन्तर्गत बतायी तथा फर्म का जारी बिल सं. 314 दिनांक 21.01.2013 तथा कार्यादेश की प्रति प्रस्तुत की। प्रकरण को उच्च अधिकारी के निर्देश पर कर निर्धारण अधिकारी वास्ते निर्णय हेतु स्थानान्तरण किया गया। उपलब्ध जांच रिपोर्ट में कर निर्धारण अधिकारी ने



लगातार.....2

पाया कि वक्त निरीक्षण वधवा गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी, सूरतगढ़ के गोदाम पर निरीक्षण के दौरान माल के संबंध में निम्न दस्तावेज पाये गये-

1. M/s EXL India Cargo का Docket No- 2784525 date 08.01.13
2. M/s Ador Fantech Ltd Bangalore का इन्वॉयस नं. 303478 दिनांक 31.12.2012 जिसमें Ceramic tile कुल कीमत रु. 228699.81 अंकित है। बिल consignee (प्रेषित) मै0 श्री सीमेन्ट लि0 सूरतगढ़ को दर्शाया गया।
3. आरवैट एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा पत्र वैट-47 नं. 1919881

कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दस्तावेजों की जांच के बाद यह माना कि उक्त माल का परिवहन कूटरचित तरीके से सीएसटी एक्ट की धारा 6(2) के अन्तर्गत दर्शाया तथा माल के Transit में आने से पूर्व उसका गंतव्य स्थल निश्चित था, इस प्रकार स्थानीय बिक्री को कूटरचित तरीके से 6(2) की बिक्री दर्शाया कर करापवंचना के प्रयास कर कर चोरी किये जाने पर धारा-76(6) में माल सिरेमिक टाइल्स रुपये 2,28,699/- पर धारा-76(6) के तहत 30 प्रतिशत से आरोपित शास्ति रुपये 68,360/- को इस अपील में विवादित किया।

अपीलार्थी-व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान तर्क किये तथा अपील के आधार निम्नानुसार पेश किये कि -

अपीलार्थी-व्यवहारी को वर्क ऑर्डर के तहत ही प्रेषित ई-1 सेल के तहत फर्म का जारी बिल सं. 314 दिनांक 21.01.2013 द्वारा एवं वैट-47 नं. ए-1919881 (मै0 मल्होत्रा इंजि0, ब्यावर का) के साथ माल का प्रेषण किया जाना बताया।

अपील के आधार इस प्रकार हैं-

The Learene Assistant Commerical Taxes Officer seriously erred in law and on facts in imposing penalty U/Sec. 76(6) of RVAT Act, 2003 without considering reply of the appellant.

The dealer has imported goods out of rajasthan & the same has been sold to shree Cement Ltd. under section 6(2) of CST Act against E-1 and the same has been detained by the Assessing officer in transit & imposed penalty U/Sec 76(6) of RVAT Act, 2003 without considering the facts of the case. All the documents laying with transporter. Imposition of penalty is illegal & bad in law the penalty order deserves to be quashed.

उपरोक्त तर्क एवं विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

व्यवसायी फर्म द्वारा अधिनियम की धारा 6(2) के तहत दर्शाई बिक्री का Modus operandi इस प्रकार है व्यवसायी सर्वप्रथम राजस्थान के खरीददारों से आदेश की प्राप्ति करता है, राज्य के बाहर स्थित व्यवहारी व्यवसायी को क्रेता के रुप में बिल में दर्शाकर बिल जारी करता है तथा राज्य के बाहर स्थित व्यवहारी इस व्यवसायी से माल खरीदने वाले व्यवहारी का नाम Consignee के रुप में बिल में दर्शाता है। इसके पश्चात बिल्टी में Consignee के रुप से

लगाता.....3

व्यवहारी से माल खरीदने वाले व्यवहारियों के नाम लिखता है तथा माल सीधे प्रेषिति को प्रेषित कर देता है तथा यह व्यवहारी Subsequent sale का अपना बिल राज्य में स्थित Ultimate क्रेता व्यवहारियों के नाम से जारी किया जाकर Documents of title of goods in favour of ultimate purchaser making endorsement in their favour करता है। व्यवसायी जिससे माल खरीदता है। उससे ई-1 प्राप्त करता है, तथा जिसे विक्रय करता है उससे सी फार्म प्राप्त करता है। इस प्रकार व्यवसायी का निवदेन है कि अधिनियम की धारा 3(बी) व 6(2) के तहत Sale in Transit की है तथा सी फार्म व ई-1 देने के बाद किसी प्रकार का कर दायित्व नहीं बनता है। व्यवसायी के जवाब का यह कथन भी उचित प्रतीत होता है कि The Concept of Predetermined sale is applicable on the transfer of goods to depot, branch consignment sales or where the declaration form F applies अर्थात् व्यवसायी द्वारा पहले आदेश लेकर यदि उन आदेशों से माल मंगाता है तो उक्त Predetermined sale से अधिनियम की धारा 3(a), (b) के तहत की गई बिक्री पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात् पहले आदेश प्राप्त कर उन आदेशों के तहत अधिनियम की धारा 3(a) व 3(b) के तहत अन्तर्राज्यीय बिक्री पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ अधिनियम की धारा 3(b) के तहत Intransit sale में डिलीवरी किसी व्यवहारी द्वारा लेने के बाद Subsequent sale in transit नहीं की जा सकती। अधिनियम की धारा 6(2) के तहत Subsequent sale interstate sale तब तक नहीं मानी जा सकती है जब तक की बिक्री करने वाले ने यह डिलीवरी नहीं ली हो। इसके संदर्भ में गुलजग इण्डस्ट्रीज लि., जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 30.08.2002 का अवलोकन किया गया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय G.A. Galia Kotwala & Co. Pvt. Ltd. V/s State of Madras (1976) 37 STC 536 का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि The assessee having its place of business at Coimbatore entered into an agreement with a mill situated within State of Madras for sale of cotton. The assessee is turn placed orders with the sellers at Bombay for purchase of cotton and directed to despatch the goods to the mill as a consignee and send the Railway receipt for endorsement to assessee in favour of the mill the Apex Court held, that sale by Bombay seller to the appellant was an inter State sale. As such the sales tax authorities has jurisdiction to assessee the transaction of sale by assessee to the mill Under Section 3(b) of CST Act." इसके अतिरिक्त व्यवसायी के जवाब के साथ संलग्न निर्णय 'State of Gujarat-V/s Haridas Mulji Thakker reported in 84 STC P. 317 का अवलोकन किया गया।

उक्त समस्त निर्णयों एवं तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवसायी राज्य में स्थित खरीदारों से पूर्व में Orders मंगवाकर तथा उन आदेशों के तहत राज्य के बाहर से माल मंगवाकर उस माल की Subsequent-sale U/s 6(2) व CST Act R/w U/s 3(b) of CST कर सकता है तथा राज्य के बाहर से माल भेजने वाला व्यवहारी इस व्यवहारी के क्रेता व्यवहारी अर्थात् ultimate Purchase को direct माल भेज सकता है। हस्तगत प्रकरण में व्यवसायी ने अपना बिल बनाकर Documents of Title को Transfer कर दिया। अतः कर निर्धारण अधिकारी को उक्त तथ्यों पर गौर करते हुए आदेश पारित करना चाहिए था।

वक्त जांच माल ट्रांसपोर्ट पर पाया गया अर्थात उसकी व्यवसायी ने डिलीवरी नहीं ली थी एवं माल संबंधी दस्तावेज धारा 76(2)(b) की पालना में प्रस्तुत कर दिए थे। अतः धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण का कोई औचित्य नहीं है मात्र करवंचना के संदेह में आरोपित शास्ति अपास्त योग्य है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है। राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य